

देवघर समाहरणालय (जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 507/भू अ०

दिनांक : 30/5/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रामपुर, थाना-सारठ, थाना सं०-273, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा मुरचुरा मोड़ (एन०एच० 114ए पर)-छतरा-बगडबरा-कोल्हड़िया-सोनारायडीह (एम०डी०आर०-224 पर) पथ पर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-रामपुर, थाना-सारठ, थाना सं०-273, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.805 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7	405	रैयती	धानी-3	0.06	गोपीनाथ वल प्रधान वल्द जनार्दन वल। जाति गन्ध वनिक। सा० देह। (ज०रै०)	अर्जित खेसर	गण्डा जोरी थाना संख्य 1-27	अर्जित खेसर	दोमुहानी थाना संख्या -253
2	7	407	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।	शेष भाग	1	शेष भाग	
3	7क	312	रैयती	बाड़ी-2	0.015	सत्यनारायण वल पे० स्व० मनहरि वल वो दिलीप वल वो दीपक वल पे० मिहिर वल वो अशोक वल पे० स्व० नवकृष्ण वल वो उज्जवल वल पे० स्व० सुधाकृष्ण वल वो सुधांशु वल वो हिमांशु वल पे० स्व० गोपाल वल वो वुवाय वल पे० विमल वल वो कमल वल वो निर्मल वल वो परिमल वल पे० स्व० रामकृष्ण वल वो दीनबन्धु वल पे० हरेकृष्ण वल वो सुबोध कुमार वल पे० श्रीकृष्ण वल वो गणेश वल वो महेश वल वो सुबल कुमार वल वो श्यामल वल पेस्व० कालीकृष्ण वल वो रेना देवी वो चन्दना देवी वो वन्दना देवी पे० स्व० सुनील कृष्ण वल वो सुशील कुमार वल पे० स्व० राधानाथ वल वो ध्रुवदास वल पे० स्व० संतोष कुमार वल वो महितोष कुमार वल वो परितोष कुमार वल पे० स्व० अविनाश चन्द्र वल वो सखाराम वल वो समीर कुमार वल वो अमियो कुमार वल वो मणिभूषण वल वो फणिभूषण वल वो केशवचन्द्र वल पे० स्व० नवीनचन्द्र वल वो जमाबंदी रैयत ब्रजनाथ वल पे० स्व० जनार्दन वल। जाति गन्ध वनिक। सा० देह।				
4	7क	318	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
5	9	81	रैयती	बाड़ी-2	0.14	सुचित पोद्दार वो निर्मल पोद्दार वो तीर्थ				

						पोद्दार वो प्रदीप पोद्दार पे० स्व० चन्द्रिका पोद्दार वो दशरथ पोद्दार पे० स्व० सरयू पोद्दार। सा० देह।				
6	9	86	रैयती	धानी-3	0.02	दशरथ पोद्दार पे० सरयू पोद्दार। सा० गन्डाजोरी।				
7	9	88	रैयती	धानी-3	0.035	तथैव।				
8	9	87	रैयती	धानी-3	0.08	सुचित पोद्दार वो निर्मल पोद्दार वो तीर्थ पोद्दार वो प्रदीप पोद्दार पे० स्व० चन्द्रिका पोद्दार सा० देह।				
9	16	85	रैयती	धानी-3	0.09	जयराम सिंह पे० स्व० विभूति सिंह वो जीतेन्द्रनाथ सिंह वो अधर सिंह वो भूदर सिंह वो पवन सिंह वो प्रभात सिंह वो महिमा सिंह पे० स्व० रामचन्द्र सिंह। जाति गंध वनिक। सा० देह।				
10	17	7	रैयती	बाड़ी-2	0.015	फेकु मिर्धा बल्द सुरेन्द्र मिर्धा वो गुलाब मिर्धा वो महावीर मिर्धा वो पियारी मिर्धा वो रखाल मिर्धा पे० तिलक मिर्धा वो शनि मिर्धा वो शमी मिर्धा पे० स्व० दुलाल मिर्धा वो टहलु मिर्धा वो जहलु मिर्धा वो ठाकुर मिर्धा पे० महाराजी मिर्धा। जाति मिर्धा (डोम)				
11	17/क	408	रैयती	धानी-3	0.04	जमाबंदी रैयत ब्रजनाथ वल वल्द जनार्दन वल। सा० देह।				
12	17/क	434	रैयती	धानी-1	0.07	तथैव।				
13	19	129	रैयती	धानी-3	0.01	पतेर सिंह वो पुरण सिंह पे० स्व० लिखो सिंह। सा० देह।				
14	19	128	रैयती	धानी-3	0.01	सतन सिंह वल्द गुरुचरण सिंह (ज०रै०)				
15	20/क	396	रैयती	धानी-3	0.025	दीनबंधु वल पे० स्व० हरेकृष्ण वल वो सुबोध कु० वल पे० स्व० श्री कृष्ण वल वो गणेश वल वो महेश वल वो सुवल कुमार वल वो श्यामल वल पे० स्व० काली कृष्ण वल वो रेना देवी वो चन्दना देवी वो वन्दना देवी पे० स्व० सुनील कृष्ण वल वो सुशील कुमार वल पे० राधानाथ वल। सा० देह।				
16	23/क	310	रैयती	बाड़ी-2	0.01	ध्रुवदास वल पे० संतोष कुमार वल वो महितोष कुमार वल वो परितोष कुमार वल पे० अविनाश चन्द्र वल वो सखाराम वल वो समीर कुमार वल वो ओमियो कुमार वल वो मणिभूषण वल वो फणिभूषण वल वो केशवचन्द्र वल पे० स्व० नवीन चन्द्र वल। सा० देह।				
17	23/क	395	रैयती	धानी-3	0.06	तथैव।				
18	23/क	406	रैयती	धानी-3	0.015	तथैव।				
19	23/क	432	रैयती	धानी-1	0.08	तथैव।				
कुल रकवा-					0.805					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

देवघर

अपर समाहर्ता

देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 507 / भू अ०, देवघर, दिनांक 30/5/2020
प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

देवघर

अपर समाहर्ता

देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।